निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी श्री सुधारानी मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
27 / 2025	21.08.2025	05/2/26

अंकित कुमार पुत्र वीरसिंह, जाट निवास श्यारौली तह0 वजीरपुर —–प्रार्थी

बनाम

1. दिनेश चंद पुत्र दुर्गा, ब्राह्मण निवासी श्यारौली तह0 वजीरपुर
2. मनोज कुमार पुत्र दुर्गा, ब्राह्मण निवासी श्यारौली तह0 वजीरपुर
3. महेश चंद पुत्र दुर्गा, ब्राह्मण निवासी श्यारौली तह0 वजीरपुर
4. संतो बेबा दुर्गा, ब्राह्मण निवासी श्यारौली तह0 वजीरपुर
5. प्रेम पत्नी महाराज सिंह, जाट निवासी श्यारौली तह0 वजीरपुर
6. तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर —–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राज0 अधिनियम

उपस्थित :–श्री एस.एल. चौधरी, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि ख0न0 2133 रकबा 0.09 है0, ख0न0 2134 रकबा 0.13 है0, ख0न0 2148 रकबा 0.19 है0, ख0न0 2135 / 3290 रकबा 0.50 है0, ख0न0 2141 रकबा 0.15 है0, ख0न0 2144 रकबा 0.10 है0, ख0न0 2145 रकबा 0.46 है0 ग्राम श्यारौली तह0 वजीरपुर मे स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदारी के रूप मे काबिज है एवं प्रार्थी का कब्जा काश्त है। भूमि पर अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही है। प्रार्थी ने मौके पर अलग अलग खेत बना रखे है। जिनमे प्रार्थी फसल काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी के खेतों के बगल मे अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। जो आये दिन प्रार्थी की डौल मेड को तोडकर अपनी भूमि मे मिलाने की फिराक मे रहते है तथा दिनांक 5.8.25 को अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0न0 2135 / 3290, 2133, 2134 पर आगे गये और मौके पर स्थित मेड को तोडकर अपने खेत ख0न0 2135 मे मिलाने लगे तथा प्रार्थी द्वारा मना करने पर लडाई करने पर आमादा हो गये। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0न0 2133 रकबा 0.09 है0, ख0न0 2134 रकबा 0.13 है0, ख0न0 2148 रकबा 0.19 है0, ख0न0 2135 / 3290 रकबा 0.50 है0, ख0न0 2141 रकबा 0.15 है0, ख0न0 2144 रकबा 0.10 है0, ख0न0 2145 रकबा 0.46 है0 ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 16:35:37 IST
Reason: SelfAttested

श्यारौली तह0 वजीरपुर का सीमाज्ञान करवाया जाकर मौके पर पत्थरगढी करवायी जावे तथा अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर जबरन कब्जा नही करे एवं मेड नही तोडें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीने नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 1113,1368 ग्राम श्यारौली, फोटोकोपी पर्चा मौका दिनांक 21.5.2024 प्रस्तुत किए हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत नही किया गया।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। फोटोकोपी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 21.05.2024 से स्पष्ट है कि प्रार्थी को उसकी भूमि ख0नं0 2135/3290, 2141, 2144, 2145, 2133, 2134, 2148 ग्राम श्यारौली का सीमाज्ञान कराया जा चुका है परन्तु प्रार्थी का पडौसी काश्तकारों से विवाद बने रहने की संभावना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि ख0न0 2133 रकबा 0.09 है0, ख0न0 2134 रकबा 0.13 है0, ख0न0 2148 रकबा 0.19 है0, ख0न0 2135/3290 रकबा 0.50 है0, ख0न0 2141 रकबा 0.15 है0, ख0न0 2144 रकबा 0.10 है0, ख0न0 2145 रकबा 0.46 है0 ग्राम श्यारौली तह0 वजीरपुर की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर को आदेश दिया जाता है कि वह प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि ख0न0 2133 रकबा 0.09 है0, ख0न0 2134 रकबा 0.13 है0, ख0न0 2148 रकबा [illegible] है0, ख0न0 2135/3290 रकबा 0.50 है0, ख0न0 2141 रकबा 0.15 है0, ख0न0 2144 रकबा 0.10 है0, ख0न0 2145 रकबा 0.46 है0 ग्राम श्यारौली तह0 वजीरपुर पर पत्थरगढी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 15:35:37 IST
Reason: SelfAttested

करावें। निर्णय की एक प्रति पालना हेतु तहसीलदार लैण्ड होल्डर वजीरपुर को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/[illegible]/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 16:35:37 IST
Reason: SelfAttested